

Haryana Government Gazette Extraordinary

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 109-2024/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, JULY 18, 2024 (ASADHA 27, 1946 SAKA)

हरियाणा सरकार

पशुपालन एवं डेयरिंग विभाग

अधिसूचना

दिनांक 18 जुलाई, 2024

पशु संक्रामक एवं संसर्गजन्य रोग निवारण एवं रोकथाम अधिनियम, 2009

क्रमांक 3455(CFMS)-प०पा०—4—2024/4113.— पशु संक्रामक एवं संसर्गजन्य रोग निवारण एवं रोकथाम अधिनियम, 2009 की धारा 6 की उपधारा (5) में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हिरयाणा सरकार द्वारा कैथल जिले को अश्व प्रजाति के पशुओं के सम्बन्ध में क्षेत्र को एक मुक्त क्षेत्र घोषित किया जाता है, जिसे अश्व प्रजाति के पशुओं में गलैडर्स रोग फैलने से 'नियन्त्रित क्षेत्र' घोषित किया गया था तथा घोड़े, गधे, खच्चर व अश्व प्रजाति के अन्य पशुओं की, जहाँ वह इस जिले में रखे गये हैं, से किसी अन्य स्थान पर राज्य के अन्दर या बाहर आवाजाही की अनुमति देता है और जिला कैथल में इन पशुओं की दौड़, मेले, प्रदर्शनी, खेल के आयोजन तथा एकत्रित करने की अनुमति प्रदान करता है।

डा० राजा शेखर वुंदरू, अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, पशुपालन एवं डेयरिंग विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

ANIMAL HUSBANDRY & DAIRYING DEPARTMENT

Notification

The 18th July, 2024

THE PREVENTION AND CONTROL OF INFECTIOUS AND CONTAGIOUS DISEASE IN ANIMAL ACT, 2009

No. 3455(CFMS)-A.H.-4-2024/4113.— In exercise of the powers conferred by Sub-Section (5) of Section 6 of "The Prevention and Control of Infectious and Contagious Disease in Animal Act, 2009" the Government of Haryana hereby de-notify the District Kaithal as "Control Area" for equine species against Glanders disease and allows the movement of equine species within or outside the State and allows the holding of races, fair, exhibition, games and gathering of such animals in Kaithal District.

DR. RAJA SEKHAR VUNDRU, Additional Chief Secretary to Government Haryana, Animal Husbandry & Dairying Department.

11192—C.S.—H.G.P., Pkl.